आर.ई.ओ.–107

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि०

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
न्यू पावर हाऊस, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, जोधपुर–342 003 फोन नं. 0291 2651127 (का) फेक्स नं० 2651313

क्रमांकः– प्रनि/जोविविनिलि/अनु–पीपीएम/पत्रा०सामान्य /प्रे०सं० 1408 जोधपुर,दिनांक 1-08-05

आदेश

विषय :– कृषि कनेक्शन के भार को विभाजित करने के सम्बन्ध मे।

****

पूर्व मे निगम के आदेश आर.ई.ओ.–96/प्रे. 723 दिनांक 04.06.2005 मे यह प्रावधान है कि स्थापित कुऐ की मोटर एच.पी. को दो भागों में उपभोक्ताओ की आवश्यकतानुसार उसी खेत परिसर/खसरा/मुरब्बा मे स्थापित दूसरे कुऐ मे स्थानान्तरित किया जा सकता है। जिसके लिये उपभोक्ताओ से कृषि कनेक्शन नीति–2004(संशोधित 18.9.2004) के बिन्दु संख्या 10 (1) के अनुसार राशि ली जायेगी।

कृषकों को राहत प्रदान करने के लिये समन्वय समिति की 83 बैठक दिनांक 2.7.2005 के बिन्दु संख्या 83.37 के (ii) मे यह निर्णय लिया गया कि स्थापित कुऐ की मोटर एच.पी. को दो भागो मे उपभोक्ताओ की आवश्यकतानुसार उसी खेत परिसर /खसरा/मुरब्बा मे स्थापित दूसरे कुऐ पर स्वयं की केबल से स्थानान्तरित करने पर निगम द्वारा उपभोक्ता से राशि वसूल नही की जायेगी।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगे।

(एच.एस.देवड़ा)
मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम)
जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर।